हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

06.07.2023 मंत्रायलिक कर्मचारियो की सामूहिक अवकाश व हड़ताल समाप्त होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट कि प्रार्थना–धारा 5 मियाद अधिनियम व मूल अपील पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि भूमि खसरा नं. 557 रकबा वाके मौजा नाथ की नांगल, तहसील नीमकाथाना में गै. मु. चाह रिर्काडेड है जिसके साबिक खसरा नं. 455 है तहसीलदार नीमकाथाना दिनांक 28.12.2018 कि तारिख पेश पर बिना किसी डिसपेच नं. कें बिना किसी मुकदमें के जारी किये जिनकी तामिल ना अपीलान्ट को हुई और ना ही अपीलान्ट के भाई पर हुई अपीलान्ट का भाई फौज में है बिना सुनवाई किये दिनांक 10.01.2019 को अपीलान्ट व अपीलान्ट के भाई के खिलाफ कार्यवाही करके बेदखली आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट का लगभग 35–40 साल से कब्जा चला आ रहा है। पक्षकारान को नाजायज तरीके से बेदखल करने का आदेश दिनांक 10.01.2019 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है जो रद्द किये जाने योग्य है। तहसीलदार द्वारा इस प्रकार का आदेश जारी करके अपीलान्ट को काफी नूकसान पहुँचाया है जो न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। अपील अन्दर मियाद पेश कि गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2019 अपास्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का नाथा की नांगल द्वारा धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत जो रिपॉर्ट पेश कि है जिसके अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नं. 557 किस्म गै0मु0 चाह रकबा 0.0160 है0 पर पक्की दिवार लगा कर अतिक्रमण होना बताया। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा नोटिस का जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। पटवारी हल्का द्वारा रिपॉर्ट के पीछे जो नजरी नक्शा बनाया है जिसमें किसी भी दिशा का माप अंकित नहीं किया है एवं ना ही अतिक्रमण कहाँ और कितने रकबे पर कर रखा है वो भी नजरी नक्शे में अंकित नही है। इससे यह तो स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा रिपॉर्ट तैयार करते समय मौके कि ... बिना ही नजरी

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नक्शा बनाया गया है। जो न्यायोचित नहीं हैं। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा भी जो आदेश पारित किया गया है जिसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि निर्णय के दौरान मौके जाँच व अपीलान्ट द्वारा दिये गये जवाब का स्पष्ट रूप से अवलोकन नहीं किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। अतः इस आधार पर सम्पूर्ण पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है तथा तहसीलदार नीमकाथाना के मुकदमा नं. 338/2018 उनवानी सरकार बनाम राकेश, मुकेश वगै. निर्णय दिनांक 10.01.2019 अपास्त किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट तहसीलदार नीमकाथाना को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि मौके पर जाकर अतिक्रमण रकबे कि नाप-चोक कि जावे एवं इसी के साथ रिपॉर्ट जो नजरी नक्शा बनाया है उसमें भी चारो दिशाओ का माप-चोक अंकित करें तथा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे। पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। आदेश आज दिनांक 06.07.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलेक्टर,
नीमकाथाना (सीकर)

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner